कार्यालय
निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड
राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून

कार्यालय/फैक्सः 0135-2759799
ई-मेलः missionhortiuk@gmail.com
बैवसाईटः shm.uk.gov.in

पत्रांक 1184/85 /HMNEH/Firm Registration/2014-15 दिनांकः देहरादूनः 30 दिसम्बर/2014

विज्ञप्ति

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड में संचालित की जा रही Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) के अन्तर्गत हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेटस (HMNEH) योजनान्तर्गत एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट हेतु (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग हेतु (Plastic Mulching) हेतु मूल उत्पादक/निर्माणकर्ता फर्मो/कम्पनियों का पंजीकरण किया जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रारूप पर बन्द लिफाफों में कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में दिनांक 16.01.2015 को दोपहर 12:00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं, जिन्हें विभागीय गठित समिति द्वारा उसी दिन अपरान्ह 2:00 बजे खोला जायेगा।

पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप, शर्ते तथा सूची दिनांक 15.01.2015 की सांय 05:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से मूल्य ₹1,000/-(रूपये एक हजार मात्र) का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप तथा शर्तें बागवानी मिशन की बेवसाइट www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड प्रारूप को जमा करने हेतु ₹1,000/ का बैंक ड्राफ्ट, जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होगा।

(बी0एस0 नेगी)
निदेशक, बागवानी मिशन

हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत नयी मार्गनिर्देशिका–2014 के अनुसार एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) के मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों के पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें व नियम

अ) पंजीकरण हेतु सामान्य शर्तें

1) बागवानी मिशन योजनान्तर्गत एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट हेतु (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग हेतु (Plastic Mulching) घटकों की मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों से पंजीकरण हेतु आवेदन आमन्त्रित किये जाते हैं।

2) फर्म/कम्पनी को पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म मूल्य ₹1,000/–(रूपये एक हजार मात्र) में उपलब्ध होगा। फार्म कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून से प्रत्येक कार्य दिवस में नगद धनराशि जमा कर दिनांक 15.01.2015 की सांय 05:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं, जिन्हें मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 16.01.2015 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून में जमा किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों को दिनांक 16.01.2015 को ही अपरान्ह 02:00 बजे विभाग द्वारा गठित कमेटी द्वारा खोला जायेगा। फार्म क्रय सम्बन्धी विभागीय रसीद (डी–2) या प्रपत्र का मूल्य ₹1,000/–(रूपये एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो निदेशक, बागवानी मिशन, देहरादून, उत्तराखण्ड के पक्ष में देय हो, को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा फर्म/कम्पनी के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

3) लिफाफे के ऊपर एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट हेतु (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) हेतु आवेदन अवश्य अंकित किया जाय। उक्त दोनों घटकों हेतु एक ही आवेदन पत्र पर आवेदन किया जा सकता है।

4) पंजीकरण हेतु आवेदन फार्म को बागवानी मिशन की बेवसाईट www.shm.uk.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे जमा करने हेतु ₹1,000/ का बैंक ड्राफ्ट, जो निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड, राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस, देहरादून के नाम देय हो, संलग्न करना होगा। बेवसाईट से डाउनलोड किये गये आवेदन फार्म अथवा क्रय किये गये आवेदन फार्म किसी अन्य फर्म/कम्पनी को न तो विक्रय किया जा सकेगा न ही हस्तान्तरित किया जा सकेगा।

5) किसानों को उत्पाद/निवेश आसानी से प्राप्त कराने के उद्देश्य से फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर उत्तराखण्ड राज्य में होना आवश्यक है।

6) यदि निर्माता फर्म/कम्पनी देश के बाहर की हैं तो उनके द्वारा देश में Authorized Dealership ली गई हो, जिससे उक्त फर्म/कम्पनी देश में कार्य कर सकती है। इस स्थिति में सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को इस आशय का प्रमाण पत्र जो कि मूल विनिर्माता द्वारा दिया गया हो, पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

7) कास्तकार उक्त सन्दर्भित कार्यों हेतु विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त अपनी स्वेच्छा से विभाग में पंजीकृत किसी भी फर्म/कम्पनी से उत्पाद/निवेश प्राप्त कर सकता है।

8) पंजीकरण हेतु आवेदनकर्ता/निर्माता, फर्म/कम्पनी को केन्द्रीय/राज्य व्यापार कर से पंजीकृत होना अनिवार्य है। साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र, वैट एवं आयकर पैन कार्ड की छायाप्रति फार्म के साथ संलग्न करनी होगी।

9) पंजीकरण के पश्चात् पंजीकृत फर्म/कम्पनी के साथ विवाद की स्थिति में फर्म/कम्पनी को निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड का फैसला अन्तिम रूप से मान्य होगा।

10) पंजीकरण की वैधता तिथि 31.03.2017 तक होगी।

11) भारत सरकार अथवा उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यदि टैक्स/ड्यूटिज आदि प्रदत्त सुविधा में कोई कटौती अथवा बढ़ोतरी/परिवर्तन किया जाता है, तो पंजीकृत फर्म के स्वामी का यह दायित्व होगा कि वह इसकी सूचना निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

12) विभाग की आवश्यकतानुसार पंजीकरण व्यवस्था को किसी भी समय नवीनीकरण अथवा समाप्त किया जा सकता है।

13) यदि फर्म के मानक सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की वैद्यता तिथि 31.03.2017 से पूर्व समाप्त होती है तो फर्म को नवीनीकृत पंजीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी अन्यथा फर्म का पंजीकरण समाप्त कर दिया जायेगा।

14) किसान द्वारा फर्म/कम्पनी से निवेश प्राप्त करने के उपरान्त विभाग को मूल बिल–वाउचर प्रस्तुत करते हुए विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त सीधे किसान को एकाउन्ट पेई चैक से राजसहायता का भुगतान किया जायेगा। कास्तकार के लिखित अनुरोध करने पर राजसहायता की धनराशि का एकाउन्ट पेई चैक से फर्म/कम्पनी को भी भुगतान किया जा सकेगा।

15) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकरण की शर्तो/नियमों में तद्नुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

16) फर्म/कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी यदि पंजीकरण की अवधि के दौरान असत्य पाई गई तो फर्म/कम्पनी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार वैद्यानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

17) आवश्यक अभिलेखः–

i. प्रपत्र–1 पर एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट हेतु (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग हेतु (Plastic Mulching) की दर अंकित कर संलग्न करनी होगी।

ii. फर्म/कम्पनी का कार्यालय अथवा डीलर के उत्तराखण्ड राज्य में स्थित होने का प्रमाण।

iii. देश से बाहर की फर्म/कम्पनी होने पर उनकी देश में Authorized Dealership का प्रमाण।

iv. एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट हेतु (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग हेतु (Plastic Mulching) निर्माण/उत्पादन करने का प्रमाण।

v. एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट हेतु (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग हेतु (Plastic Mulching) की 01 वर्ष की गारन्टी/वारन्टी का प्रमाण।

vi. फर्म/कम्पनी की प्रोफाईल संलग्न करनी होगी, जिसमें फर्म/कम्पनी के कार्यालय का पता, फर्म/कम्पनी के स्वामी का नाम, फर्म/कम्पनी के निदेशक, फर्म/कम्पनी के साझेदारों का नाम अंकित हो।

vii. फर्म/कम्पनी का टिन एवं पैन नम्बर की छायाप्रति।

viii. फर्म/कम्पनी के पंजीकरण के प्रमाण की छायाप्रति।

हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नार्थ ईस्ट एण्ड हिमालयन स्टेट्स (HMNEH) योजनान्तर्गत नयी मार्गनिर्देशिका–2014 के अनुसार विभिन्न घटकों की मूल उत्पादक फर्मो/कम्पनियों की दरों हेतु प्रारूप

विभागीय कैश रसीद/बैंक ड्राफ्ट संख्या:– .... दिनांक:– ....

धनराशि:– ₹1,000/–

क्र0 सं0	घटक	विशिष्टियाँ (Specifications)	इकाई (Unit)	दर समस्त कर सहित (₹ में)
i) Anti Bird / Anti Hail Nets (up to 5000 sqm per beneficiary)				
1.	Anti Bird		वर्गमीटर (Sqm)	
2.	Anti Hail Nets		वर्गमीटर (Sqm)	
ii) Plastic Mulching (up to 2 ha per beneficiary)				
1.	Plastic Mulching			
i.	For Plain areas		है0 (ha)	
ii.	For Hilly areas		है0 (ha)	

फर्म/कम्पनी का नाम ....

फर्म/कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....

फर्म/कम्पनी की मोहर ....

Director
Horticulture Mission
Uttarakhand

ब) पंजीकरण हेतु अन्य आवश्यक शर्तें

i) एन्टी बर्ड / एन्टी हेल नेट हेतु (Anti Bird / Anti Hail Net)

1. एन्टी हेल नेट/बर्ड नेट का आवश्यक होने पर Quality Assurance हेतु CIPET से जॉच कराई जा सकती है।
2. समस्त जनपद मुख्यालयों पर समान दर से आपूर्ति करनी होगी।
3. एन्टी हेल नेट/बर्ड नेट मजबूत व टिकाऊ UV Stabilized मोनाफिलामेन्ट (69/70 GSM) धागों से निर्मित होना चाहिए।
4. फर्म/कम्पनी को एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) के अन्तर्गत पंजीकरण की वैद्यता हेतु ₹50,000/ (रूपये पचास हजार मात्र) की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR), जो कि निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम हो उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.03.2017 तक होनी अनिवार्य है।

ii) प्लास्टिक मल्चिंग हेतु (Plastic Mulching)

1. फसल की आवश्यकतानुसार 20, 25, 30, 50, 75, 100, 150 व 200 में से उपयुक्त माइक्रोन थिकनेस (मोटाई) के UV Stabilized प्लास्टिक मल्च की आपूर्ति करनी होगी।
2. कास्तकारों की मांगानुसार प्लास्टिक मल्च की आपूर्ति Black, Black & White and Black & Silver रंग में से किसी भी रंग में करनी होगी।
3. फर्म/कम्पनी को प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) के अन्तर्गत पंजीकरण की वैद्यता हेतु ₹50,000/ (रूपये पचास हजार मात्र) की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR), जो कि निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम हो उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.03.2017 तक होनी अनिवार्य है।

18) यदि फर्म/कम्पनी द्वारा एन्टी बर्ड/एन्टी हेल नेट (Anti Bird / Anti Hail Net) एवं प्लास्टिक मल्चिंग (Plastic Mulching) दोनों के पंजीकरण हेतु आवेदन किया जाता है तो पंजीकरण वैद्य कराने हेतु ₹1.00 (रूपये एक लाख मात्र) की बैंक गारन्टी/सावधी जमा रसीद (FDR), जो कि निदेशक, बागवानी मिशन, उत्तराखण्ड के नाम हो उपलब्ध करानी होगी, जिसकी वैद्यता दिनांक 31.03.2017 तक होनी अनिवार्य है।